



प्रेस नोट

दिनांक 13.01.2026

02 अभियुक्तगणों के विरुद्ध जिलाबदर की कार्यवाही की गई।

पुलिस अधीक्षक महोदया हमीरपुर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही / प्रभावी पैरवी के क्रम में न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) द्वारा जनपद के थाना मझगवां व थाना कुरारा से सम्बन्धित गुण्डा अपराधी को जनपद हमीरपुर की सीमा से 06 माह के लिये निष्कासित / जिलाबदर किया गया है। पारित आदेश में आदेशित किया गया है कि जिलाबदर की अवधि में निष्कासित / जिलाबदर अपराधीगण अपने साथ किसी प्रकार का शक्ति व अग्नेयास्त्र लेकर नहीं चलेंगे एवं 06 माह की अवधि तक जनपद हमीरपुर की सीमा में प्रवेश नहीं करेंगे तथा बाह्य जनपद में जिस स्थान पर निवास करेंगे उसकी सूचना सम्बन्धित न्यायालय एवं स्थानीय पुलिस को भी देंगे।

जिलाबदर किये गये अभियुक्तगण का विवरण:-

1. अभियुक्त- महेश राजपूत पुत्र कृष्ण कुमार उर्फ किशन राजपूत निवासी ग्राम गोहानी थाना मझगवां जनपद हमीरपुर, दिनांक 19.12.2025 से 06 माह।
2. अभियुक्त- दिलीप पुत्र राम प्रकाश निवासी ग्राम क्योटरा थाना कुरारा जनपद हमीरपुर दिनांक 22.12.2025 से 06 माह।